राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 8(2)वित्त/कर/2025 जयपुर, दिनांकः 22/04/2025

आदेश

श्री महेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–रतनगढ को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा ट्रेप किया जाकर दिनांक 28.03.2025 को गिरफ्तार किया गया। इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफआईआर संख्या 81/2025 पंजीबद्ध की गई है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री महेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–रतनगढ को दिनांक 28.03.2025 से निलम्बित माने जाने (Deemed to have been suspened) के एतदद्वारा आदेश जारी किये जाते है।

श्री महेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–रतनगढ का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

आज्ञा से

(डॉ. खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री महेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–रतनगढ को सुपुर्द करवाकर प्राप्ति रसीद 7 दिवस में इस विभाग को भिजवाये जाने का श्रम करावें। श्री महेश कुमार को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हे यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं छोड़े। साथ ही श्री महेश कुमार को निलम्बन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होगें।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/3/अशा/2025/478 दिनांक 29.03.2025 के क्रम में।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
7. श्री महेश कुमार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–रतनगढ को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोडे।
8. कार्मिक (क–1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग।
9. कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग।
10. कोषाधिकारी, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

E:\Kishan Ji\Order_LTR_Hindi.36